संख्या: ३५१२ / 12-2-2017-60(6) / 2017

प्रेषक,

रजनीश गुप्ता,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: ॥ जुलाई, 2017

विषयः प्रदेश के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण मोचन योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर संस्थागत वित्त, कर निबंधन अनुभाग-6 के शासनादेश संख्याः 540 बी/क0नि0-6-2017-01(बी)/2017 दिनांक 24 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्याः 565बी/ क0नि0-6/2017 दिनांक 30 जून, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेशों में कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

2. ऋण मोचन योजना के संबंध में जारी शासनादेश में यह वर्णित है कि प्रथम चरण में ऋण मोचन हेतु ऐसे पात्र किसानों को लाभान्वित किया जायेगा, जिनका आधार संख्या उनके बैंक खाते से लिंक है। इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय यह सुनिश्चित कर ले कि अधिक से अधिक कृषकों का आधार कार्ड बन जाये तथा उनके बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक हो जायें।

3. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति ऐसे समस्त उपाय करे कि अधिकाधिक संख्या में पात्र किसानों का आधार कार्ड बन सके और उनके आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कर दिया जाय। उचित होगा कि आधार कार्ड बनाने हेतु उपयुक्त विभिन्न स्थलों यथा-बैंक, ब्लाक, तहसील इत्यादि स्थलों का चयन कर लिया जाय। जिलाधिकारियों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिदिन आधार कार्डो के बनने तथा उनके बैंक खातों के लिंक होने का अनुश्रवण करते रहें तथा इस संबंध में किसी प्रकार की कोई शिथिलता न बरती जाय।

4. समस्त मण्डलायुक्तों से अनुरोध है कि वे इस कार्य का प्रतिदिन समीक्षा/ अनुश्रवण करते रहने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रजनीश गुप्ता)
प्रमुख सचिव।

संख्याः (1)/12-2-2017 तद्दिनांक।

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को अपर मुख्य सचिव महोदय के सादर अवलोकनार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन0आई0सी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. निदेशक, कृषि, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आज्ञा से,

(पवन कुमार)
विशेष सचिव।